MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(RTI Section)

PUC is an Application/ Appeal from Shri Rameshwar Sharma R/o Delhi which has been received on 13/07/2017 from Head post office, Delhi under the RTI Act. 2005

it

If approved we may forward to Shri M.S. Sisodia, SE(monitoring), out of the 39 points only one listed at point No. 32 relates to this ministry. As the issue raised vide point No. 32 more of tolls relates to monitoring zone.

Ghansi
20/07/17

SO(RTI)

US(RTI)

SO(RTI)

Sh. A.M.

Ghans.
26/07/17

~~To be replied in Hindi~~

E-1238179/2017/RTI
14/7/17

RTI MATTER/TIME BOUND

No.A-43020/ 01 /2017-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
****

New Delhi, Dated: 07.07.2017.

Dy.N. 1237972/2017/CR Section
13/7/2017

To

Shri Rameshwar Sharma
Chamber No. 308, F Block,
Karkardooma Court Parisar,
Delhi – 110032.

Subject: Information sought under the Right to Information Act, 2005.
****

Please refer to the RTI application dated 27.05.2017 which was received in this Ministry on 21.06.2017 by transferring from Head Post Office, Delhi, where in you have sought information under RTI Act, 2005. The Point wise reply is as under:

Sl. No.	Point No.	Reply
1	1 to 4, 7,28,30 & 38	The matter is related to Department of Official language. The RTI application is transferred under section 6(3) of the RTI Act, 2005 to Department of Official Language for providing the information directly.
2.	5 & 27	The subject matter is related to Legislative Department. The RTI application is transferred under section 6(3) of the RTI Act, 2005 to Legislative Department for providing the information directly
3.	6,8,10,29 & 34 to 37	You have not sought any specific information, as available in the Ministry of Home Affairs, whereas you have raised question and sought opinion/views of the public authority. It is informed that such request do not come under the definition of information specified under Section 2(f) of the RTI Act, 2005.
4.	9	The subject matter is related to Department of Personnel and Training, the application is therefore, being transferred to Department of Personnel and Training under sub-section (3) of Section 6 of RTI Act, 2005 for taking necessary action.
5.	11 to 26	It is observed that the subject matter sought in your application does not come under the functions of the Ministry of Home Affairs. This Ministry has no role in this matter. The subject matter is related to State Government/State Police. Hence, you are requested to obtain the same directly from the concerned State Governments/State Police as specified in the Department of Personnel & Training's O.M. No.10/2/2008-IR dated 12.06.2008 (copy enclosed). Information about part of point no. 21, as far as Delhi State is concerned, the RTI

F.SO(RTI) 14/7/17

(662)

RTI

On MUH
13/7

Sham Chand 17/07/17

RECEIVED 13 ... Ministry of Road Transport & Highways

		application is therefore, being transferred to Delhi Police under sub- section (3) of Section 6 of RTI Act, 2005 for taking necessary action.
6.	31	The subject matter is related to Ministry of Human Resources Development. The RTI application is transferred under section 6(3) of the RTI Act, 2005 to Ministry of Human Resources Development for providing the information directly.
7.	32	The subject matter is related to Ministry of Road, Transport and Highways. The RTI application is transferred to Ministry of Road, Transport and Highways under section 6(3) of the RTI Act, 2005 for providing the information directly.
8.	33.	The subject matter is related to Kashmir Division of this Ministry, the RTI application is forwarded to Kashmir Division of this Ministry for providing the information directly.
9.	39.	The details of designated CPIOs and Appellate Authorities are available in the official web site of this Ministry viz. mha.nic.in. This web site is also available in Hindi. However, a copy each of the list of CPIOs and AAs is enclosed herewith.

2. The Appellate Authority in this regard is Sh. Shri Prakssh, Joint Secretary (Admn.), MHA, North Block, New Delhi.

Encl. – As above.

(V.K. Rajan)
Dy. Secretary (E) & CPIO

Copy along with RTI application to :

(I) Section Officer (Policy) & CPIO, Department of Official Language, NDCC-II, Jai Singh Road, New Delhi.

(II) Shri S.K. Chitkara, Dy. Secretary & CPIO, Legislative Department, Shastri Bhawan, New Delhi.

(III) Under Secretary (Admn.), Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.

(IV) Under Secretary & CPIO, Ministry of Human Resources Development, Shashtri Bhawan, New Delhi.

(V) Commissioner of Police, Delhi Police, Delhi Police Headquarter, I.P. Estate, New Delhi.

(VI) Dy. Secretary (RTI), Ministry of Road, Transport and Highways Room No. 429, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi.

(VII) Director (K-II), Kashmir Division, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.

(V.K. Rajan)
Dy. Secretary (E) & CPIO

Dy. No 2581 /2017-RTI
23/06/17

भारतीय डाक विभाग

REGISTERED

मुख्य डाकपाल का कार्यालय ,दिल्ली जी. पी. ओ.-110006

E mail-cpmdgpo-dl@indiapost.gov.in, Phone No.-011-23869771

PRIME MINISTER'S OFFICE
Dy. No. 1030427

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.)
श्रीमान गृह मंत्री , भारत सरकार,
नई दिल्ली-110003.

संख्या: - सी.पी.एम./आर.टी.आई./सी.आर./165/2017-18 दिनांक: 17.06.2017

विषय:- **सूचना आधिकार नियम 2005 के अन्दर माँगी गई सूचना ।**

मामला- श्री रामेश्वर शर्मा , चैंबर न. 308-ए, ऍफ ब्लाक ,कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर ,शाहदरा दिल्ली-110032 ।

महोदय/ महोदया,

उपरोक्त विषय से संबन्धित सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 5(2) के अंतर्गत प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2017 जो कि इस कार्यालय को दिनांक 17.06.2017 को प्राप्त हुआ है , आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है । प्रार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत 10 रु. का निर्धारित शुल्क भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 38F- 201396 के माध्यम से भुगतान किया है ।

जैसा की प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना आपके कार्यालय अधिकार क्षेत्र मे आती है इसलिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी होने के नाते आपसे अनुरोध है कि सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत तय समय सीमा के भीतर मांगी गई सूचना से प्रार्थी को सीधे आवगत कराएं । यदि मामला आपके कार्यालय से संबन्धित नहीं है तो कृपया करके प्रार्थना पत्र को उपयुक्त प्राधिकारी को अग्रसर करें ।

भवदीय,

उप मुख्य पोस्टमास्टर/सी.ए.पी.आई.ओ.
दिल्ली जी.पी.ओ.-110006

संलग्नक: -

1. प्रार्थना पत्र मूल रूप मे (4 पृष्ट) ।
2. IPO मूल रूप मे ।

प्रतिलिपि: - श्री रामेश्वर शर्मा , चैंबर न. 308-ए, ऍफ ब्लाक ,कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर ,शाहदरा दिल्ली-110032 को सूचनार्थ हेतु । कृपया इस मामले से संबन्धित पत्र व्यवहार ऊपर लिखे अधिकारी से करें ।

उपमुख्य पोस्टमास्टर/सी.ए.पी.आई.ओ.
दिल्ली जी.पी.ओ.-110006

!!ऊँ!!

रजिस्ट्रड/स्पीड पोस्ट/ दस्ती

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

आई.डी.न0.______________ दिनांक 27.05.2017

सेवा में, पृष्ट संख्या 1 से 4

बिन्दू संख्या 1 से 39

श्रीमान जनसूचना अधिकारी (पी0आई0ओ0)

श्रीमान गृह मंत्री, भारत सरकार

नई दिल्ली-110003

17 JUN 2017

DELHI-110006

आवेदक का नाम व पताः– रामेश्वर शर्मा चैम्बर न0. एफ–308, एफ ब्लाक कड़कड़ डूमा कोर्ट परिसर दिल्ली।

सूचना का विवरण– सूचना बाबत देश में 1947 से पहले अंग्रेजी शासकों द्वारा बनाए कानून कौन–कौन से हैं उन्हें आज तक लागु रखना देश संविधान का अपमान किस योजना से कराया जा रहा है, जब देश का नाम हिन्दुस्तान था लेकिन योजना से 1860 में इण्डिय प–कोड अंग्रेजी द्वारा बनाया गया और जवाहर लाल जैसे कांग्रेसियों ने 1860 में और 1947 से पहले अंग्रेजो द्वारा बनाए कानून लागु किस योजना से रखे। हिन्दुस्तान का विभाजन किस योजना से कराया। जवाहरलाल नेहरु जैसे कांग्रेसियों ने अगर सम्प्रदाय/ हिन्दु मुस्लिम धर्म के आधार पर हिन्दुस्तान का विभाजन कराया तो फिर इस तथाकथित आजाद भारत में मुस्लिम किस योजना से जवाहर लाल जैसे कांग्रेसियों ने रखे तथाकथित आजादी के बाद इसे देश दुश्मन सम्पति, मुशरफ जैसे आतंकी आतंकियों की जय–जयकार करने वाले आदि की सम्पत्तियों को सजाया जाता है। आज तक अगर 1947 से पहले बने कानून ठीक थे जो आज तक देश में लागु है। पंजाब में आंतकी जनरल अचर ने जलिया वाला बाग में निहत्ते हिन्दुस्तानियों को बंद कर जिंदा जलाया और उस दरिन्दे जनरल डायर को किसी प्रकार की सजा उन द्वारा बनाए गए कानून द्वारा किस योजना से नहीं हुई। 1965 में पाकिस्तान ने तथाकथित आजाद भारत देश हवाई हमला किया फिर हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान को हराया फिर उस तास्कन्द समझौते के तहत जीता हुआ भाग पाकिस्तान को किस योजना से दिया। देश की कैसी विदेश नीति है कि तथाकथित आजाद भारत देश का नागरिक पाकिस्तान में गलती से या व्यवसाय के लिए जाता है। उसको पाकिस्तान की सरकार अनैतिक यातनाएं देती है और उसके सभी प्रकार के मानव अधिकारों का हनन कर उसके साथ अन्याय किया जाता है और तथाकथित आजाद देश की भारत सरकार अपने नागरिकों मानव अधिकारों की रक्षा किस योजना से नहीं कर पाती है। शरबजीत के बारे में जब भारत सरकार कार्यवाही करने लगी तो वहां के आंतकियों ने उसका कत्ल कर दिया उसके कत्ल के लिए किसी को सजा किस योजना से भारत सरकार ने नहीं कराई। कैसी विदेश नीति है इस सरकार की।

सूचना की अवधिः– 1947 से 2017 हाल तक।

आदरणीय मान्यवर,

1. सूचना दे कि भारत देश की सवैधानिक राज भाषा देश के हर कार्यालय और न्यायालय के लिए संवैधान के अनुसार कौन सी राज भाषा तय की है, सूचना हिन्दी में देवे।
2. सूचना दे कि देश की संवैधानिक राष्ट्रभाषा कौन सी है, सूचना हिन्दी में देवे।
3. सूचना दे कि विश्व में कौन सा राष्ट्/ देश ऐसा है जिसकी राष्ट्रभाषा ना हो और देश दूसरे देश की भाषा का गुलाम हो और जिसके देश के व्यक्ति उस भाषा को ना समझते हो।
4. सूचना दे कि चाईना भारत देश के क्षेत्रफल के अनुसार तीन गुना बड़ा है और 1975 में भारत देश की जनसंख्या में दो गुना ज्यादा जनसंख्या का चाईना देश था लेकिन चाईना की राष्ट्रभाषा और राज भाषा हर न्यायालय और कार्यालय के लिए एक है जिस कारण भ्रष्टाचार मुक्त है और विश्व में महा शक्ति के रूप में यू0एन0ओ0./ संयुक्त राष्ट्र महासभा का पार्ट है।

DOL

5. सूचना दे कि देश में संविधान एक है और संविधान के अनुसार सभी समान है। उसके बावजुद देश को असांप्रदायिक/सैक्यूलर कहने वाले बहु विवाह प्रथा तथाकथीत संप्रदायिक मुस्लिम इस देश में अपने व्यक्तिगत कानून बना कर इस देश की बेटियो को भगा कर बुरखे में रखते है ओर कुछ दिन बाद तीन तलाक कह कर बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ देते है। ये मुस्लिम संप्रदाय संप्रदायिक है या असंप्रदायिक है/ कम्यूनल है या सैक्यूलर है जो संविधान से उपर अपने व्यक्तिगत मुस्लिम कानून को और अपने मुस्लिम संप्रदाय को संविधान से उपर किस योजना से समझते है और देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय के मुखिया इस मुस्लिम संप्रदाय से किस योजना से डरते है और असमानता का तांडव कायम रख कर देशवसियों के साथ अनैतिक निर्णय संविधान से उपर होकर इनके डर से देते है। यह कैसी संवैधानिक देश की व्यवस्था इस देश के न्यायाधीषो एवं तथाकथीत नेताओ और भ्रष्टाचारी राजनैतिक पार्टीयो के मुखियाओ ने इस देश में असमानता का जाल किस योजना से फेला रखा है, सूचना हिन्दी में देवे।

Legal 3/4

6. सूचना दे कि देश की कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव, जनता दल (यू0) के मुखिया शरद यादव, पी0एम0सी0की मुखिया ममता बेनर्जी, सी0पी0एम0. के मुखिया, सी0पी0आई0.के मुखिया, आप पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल, जे0डी0एस0. के मुखिया देव गोड़ा, बी0जे0डी0. के मुखिया नवीन पटनायक, बी0एस0पी0. की मुखिया सुश्री मायावती, सूचना दे कि देश के टूकड़े 1947 में किस आधार पर किस संप्रदायिक के तहत किए थे और देश के हिन्दूओ की हालत पाकिस्तान में इस समय क्या है और इस देश का हर तरह का लाभ लेकर पैसा खाकर अलगाववादीयों ने सभी कश्मीरी पंडीतो और हिन्दुओ को कश्मीर से भगा दिया उनके सभी सदस्थान चाहे वो शिक्षा के हो या चाहे वो धर्म की आस्था से जुड़े

2(f)

27/5/17

मन्दिर हो सभी को तोडकर कब्रीस्तान किस योजना से बनाए और हिन्दुओ की हालत किस योजना से बनाई और किस योजना से भगाया।

7. सूचना दे कि भारत वर्ष में संविधान की संरचना और स्थापना 1950 से प्रारंभ हुई जिससे देश की उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालयो में संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत 15 वर्ष के लिए (1950 से 1965 तक) अंग्रेजों की अंग्रेजी में हर प्रकार की कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए प्रावधान किया था। उसके बाद आज तक इसमें कोई भी समय सीमा नहीं बढ़ाई है। ये स्वतः जिसका समय खत्म हो गया है और अंग्रेजों की अंग्रेजी में कार्यवाही बंद मानी जाती है जैसे ड्राईविंग लाईसैंस खत्म होने के बाद उस लाईसैंस से ड्राईविंग नहीं कर सकते जब तक वह कानून के तहत रिन्यु ना हो। इसी तरह बुचडखाने चलाने का लाईसैंस खत्म होने पर बुचडखाना खत्म लाईसैंस से नही चलाया जा सकता है ना ही पासपोर्ट की समय सीमा खत्म होने पर विदेश यात्रा की जा सकती है इसी तरह अब अंग्रेजों की अंग्रेजी संविधान के तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी की अनिवार्यता समय सीमा खत्म होने पर खत्म हो चुकी है। अब इस देश में देश की राजभाषा इस्तेमाल किस योजना से कब तक चालु की जायेगी और अंग्रेजों की अंग्रेजी की गुलामियत से भारतीयों को कब छुटकारा दिया जाएगा। और आवेदक को इसकी गुलामी से बिना किसी कारण के क्यों नहीं छुटकारा दिया जाता उसको खुदखुशी करने के लिए फांसी लगाने की जबरदस्ती इस अंग्रेजी की आड में क्यों की जा रही है।

8. सूचना दे कि देश तथाकथित आजाद भारत से जाति के नाम पर एक दूसरे का कत्ल किया जाता है और देश की पुलिस रिश्वत लेकर और देश के न्यायाधीश रिश्वत लेकर किस योजना से बदमाशों, अपराधियों को बरी कर देते हैं। देश में जाति सम्प्रदायवाद, भाई भतीजावाद, धर्मवाद किस योजना से पनप रहा है इस देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था किस योजना से की जा रही है।

9. सूचना दें कि इस देश में भर्तियां/नियुक्तियां आधुनिक युग में सीसीटीवी कमरे लगा कर परीक्षा किस योजना से नहीं ली जाती और उन परीक्षापत्रों की जांच सीसीटीवी निगरानी में किस योजना से नहीं कराई जाती। जिस जांच करने वाले रिश्वत लेकर भ्रष्टाचारियों को भर्ती कर ले और फिर वे भर्ती किये भ्रष्टाचारी देश भ्रष्टाचार फैला कर देश को लुटते रहे ऐसा किस योजना से।

10. सूचना दें कि इस देश में ठेके के लिए टेंडर भरे जाते हैं टैंडर भरे जाते हैं टैंडर खोलने वाले भ्रष्टाचारी रिश्वत लेकर भ्रष्टाचारी ठेकेदारों को चुपचाप ठेका किस योजना से दे देते हैं।

11. सूचना दें कि देश के व हरियाणा राज्य के मोतीलाल नेहरु स्पोर्ट स्कूल राई सोनीपत हरियाणा 131029 में 2003 में भ्रष्टाचारी वी.के. वर्मा को तीन साल के लिए ठेके पर प्रधानाचार्य एवं निदेशक के पद पर रखा उस ठेके व भ्रष्टाचारी रिश्वत खोर बदमाश, लुटेरे ने वी.के. वर्मा सी.बी. एस.सी. बोर्ड नयी दिल्ली/दिल्ली नियम के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद पद पर नहीं रखा जा सकता फिर भी लुटेरे भ्रष्टाचारी बी.एस. हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा ने हरियाणा के राज्यपाल के माध्यम से तीन साल की अवधि खत्म होने पर रिश्वत खोरी भ्रष्टाचार कायम रखने के लिए उसे यहां फिर रख लिया। रिश्वत खा-खाकर सारे नियम कानून तोड़कर उसे 63 साल की आयु तक किस कानून व किस नियम के अनुसार उसे ठेके पर लगाये रखा।

12. सूचना दें कि इस स्पोर्ट स्कूल राई सोनीपत हरियाणा 131029 के स्कूल में लुटेरे रिश्वत बी.एस. हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री ने जो भर्तियां 2005 से 2014 तक रिश्वत खा-खाकर अयोग्य व्यक्ति की कराई।

13. सूचना दें कि 2005 से 2014 तक जितने भी टैंडर के माध्यम से ईकेदारों को कार्य दिया गया उन सभी में रिश्वत खा-खाकर बीएस हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा ने वीके वर्मा उपरोक्त ने आपस में मिलजुल कर भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी को किस योजना कायम रखा अब श्री एमएल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा बार-बार इनकी शिकायत करने पर जांच नहीं करा ये भी उनके भ्रष्टाचार को कायम रखा व रही है किस योजना से।

14. सूचना दें कि इस स्पोर्ट स्कूल राई सोनीपत हरियाणा में 131029 में कौन सा कानून नियम है कि एक भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर नम्बर प्रमाण पत्रों से हॉकी कोच, एच. एस. अन्टाल लगाया गया भर्ती किया गया इसके बाद इस स्पोर्ट स्कूल में रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार को ठीक से कायम कराने के लिए बिना किस स्कूल कानून नियम के बीएस हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और वीके वर्मा को रिश्वत देकर एस.एस. अन्टाल तथाकथित हॉकी कोच को राजपत्रित अधिकारी किस योजना किस कानून व स्पोर्ट स्कूल राई के सोनीपत हरियाणा-131029 के कौन-से नियम कानून के आधार पर बनाया गया इस की बार-बार शिकायत करने पर किस योजना से श्री एमएल खट्टर की हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार को कायम रखने के लिए जांच नहीं करा रही है।

15. सूचना दें कि 2011 में रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी बी.एस. हुड्डा पूर्वमुख्यमंत्री हरियाणा ने रिश्वत खोर वीके वर्मा ने अपना भ्रष्टाचार कायम रखने के लिए बिना किसी दोष के तीन स्पोर्ट स्कूल राई के तीन अध्यापकों को यहां से हटाकर दूसरे सरकारी स्कूलों में किस स्पोर्ट स्कूल के किन कानूनों के अनुसार भेजे थे और उनके आवास भी किस योजना से छीन लिये थे और उनके तीनों अध्यापकों पंकज वर्मा, पीके राय एवं संखावत को करीब पांच/छ साल बिना उनके पद के बी. एस. हुड्डा ने वी.के. वर्मा के साथ मिलकर रिश्वत लेकर एक दूसरे अध्यापक भर्ती कराये किस योजना से और अब उन्हें वापिस किस योजना से स्कूल में बुला लिया। इसकी जांच श्री एमएल खट्टर मुख्यमंत्री व स्पोर्ट मंत्री श्री अनिल विज किस योजना से जांच नहीं करा कर दोषियों को किस योजना से बचा रहे है।

16. सूचना दें कि श्री वीके.वर्मा ने 2003 से 2015 तक अपने कार्यकाल में सभी ठेके और भर्तिया रिश्वत खाकर किस योजना की गयी उसकी जांच किस योजना से नहीं की जा रही है। सत्येन्द्र सोरान, स्पोर्ट स्कूल राई सोनीपत के रिश्वत खोर भ्रष्टाचारी कर्मचारी ने गैस के सिलैंडर चोरी किये उसको किस योजना से वीके वर्मा ने सिलैंडर आदि के चोरी के केसों से बचाया उसकी जांच कर इसे और वीके वर्मा व बीएस हुड्डा को दंडित किस योजना से नहीं किया जा रहा है।

17. सूचना दें कि सत्येन्द्र सोरान स्पोंट स्कूल राई कर्मचारी को उसके दुराचारों को दोषीमान कर उसे उसकी नौकरी से डिसमिस कर दिया उसके बाद भी वह स्कूल के सरकारी आवास में डिसमिस होने के बाद भी किस योजना से रह रहा है। जब कि तीन अध्यापक इस स्पोंट स्कूल राई से जबरदस्ती बिना किसी दोष के दूसरे स्कूलों में भेजा अपना भ्रष्टाचारी बी एस हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व प्रधानाचार्य को अपना रिश्वतखोरी का धंधा कायम रखने के लिए अब तक इस दोषी से सरकारी आवास वापिस किस योजना से नहीं लिया जा रहा।

18. सूचना दें कि स्पोर्ट स्कूल के भ्रष्टाचारी बदमाश सत्येन्द्र सोरान व एच.एस. अंटाल तथा कथित हाकी कोच के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर भी उन्हें खुला छोड़ रखा है ये कैसी हरियाणा की एमएल खट्टर सरकार है जो कांग्रेस की तर्ज पर भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने के लिए खुले सांड की तरह छोड़ रखा है। इस स्पोंटस स्कूल राई सोनीपत हरियाणा के अध्यापक 100 प्रतिशत परीक्षा आये वर्ष देते हैं और हरियाणा के दूसरे सभी सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणामों 50–60 प्रतिशत भी नहीं देते उनके सरकारी अध्यापक उन सरकारी स्कूल के अध्यापकों राजपत्रित अधिकारी किस योजना से बना रखे हैं और इस स्कूल के 100 प्रतिशत होने वाले अध्यापक सी श्रेणी का नोन गजेसिंह किस योजना से रखा। उनके साथ सौतेला व्यवहार किस योजना से किया जा रहा है।

19. सूचना दें कि श्री खट्टर सरकार के विज साहब इस स्पोंट स्कूल के अयोग्य बिना स्कूल कानून के राजपत्रित अधिकारी एच. एस. अंटाल हाकी कोच को पूर्व के प्रधानाचार्य व बीएस हुड्डा ने रिश्वत लेकर बनाया उसके खिलाफ किस योजना से जांच कर दंडित नहीं कराते है। ये है भाजपा की इमानदार सरकार भ्रष्टाचार हर जगह कांग्रेस की तर्ज पर किस योजना से पनपा रहे हैं। सूचना हिंदी में दें।

20. सूचना दें कि जाट आरक्षण की आड में बदमाशों ने फरवरी 2016 में गरीब व शरीफ लोगों का अरबों की सम्पदा जला कर राख करने वाले बदमाशों को उन द्वारा किये गये गुनाहों से किस योजना से बचाना चाहते हैं जिससे वे भविष्य में बार–बार इस तरह के अपराध करे और बच जाए।

21. सूचना दें कि देश, दिल्ली व हरियाणा में अवैध रेहडी खोमचे अवैध यात्री वहन चलवा कर लगवा कर इस देश की पुलिस प्रशासन आदि के लोग अरबों की रिश्वत लेकर देश को किस योजना से लूट रहे है।

22. सूचना दें कि स्पोंट स्कूल राई सोनीपत हरियाणा–131029 2013 से 2015 तक सत्येन्द्र सोरान ने अपने और वीके वर्मा ने बीएस हुड्डा से मिलीभगत कर रिश्वत खोरी का धंधा चलाया पेड़ कटवाकर पैसा कमाया ठेके पर घाडी मजदूरी की तनखाह ठेकेदारों से लेकर अपने खातों में डलवाकर मजदूरों की मजदूरी आधी रिश्वत में लेकर उनका खून पसीने की कमाई किस योजना से सत्येन्द्र श्योरान और श्री सुरेन्द्र लूटते आ रहे थे। उनकी जांच किस योजना से ये एमएल खट्टर सरकार किस योजना से नहीं कराकर इन्हें किस योजना से इनके भ्रष्टाचार को दबा रही है।

23. सूचना दें कि इस स्पोंट स्कूल के मल्टीप्रपज हाल आदि में कई करोड वीके वर्मा और बीएस हुड्डा और उसकी पत्नी आदि हुड्डा ने रिश्वत के खाये और वह मल्टीपरपज हाल आदि भी टपकता। उसकी छत से रिसाव कायम है उसके लिए इन बदमाशों को किस योजना से खट्टर सरकार बचा रही है। सूचना हिंदी में देवें।

24. सूचना दें कि भ्रष्टाचारी रिश्वत खोर पूर्व प्रधानाचार्य वीके वर्मा ने बीएस हुड्डा को रिश्वत देकर 2003 से 2015 तक एलटीसी बिना कहीं गये खायी जबकि पूरे देश में ठेके के कर्मचारी अधिकारी को कानून के हिसाब/अनुसार एलटीसी लेने का हक नहीं। फिर इस ठेके वी.के. वर्मा ने किस योजना ने लिये। सूचना हिंदी में देवें।

25. सूचना दें कि वीके वर्मा पूर्व प्रधानाचार्य हरियाणा 131029 ने अपने कार्यकाल 2003 से 2015 तक अपने पिता की देवायों का पैसा लिया और आयकर किस योजना से बचाया इसकी जांच किस योजना से खट्टर सरकार ना कराकर इन दोषियों को किस योजना से बचा रही है।

26. सूचना दें कि आज स्पोर्ट में एक सरकारी प्लैट किस बाहार की कर्मचारी सुनिता को हुड्डा ने अपने कार्यकाल में किस योजना से दिलवाया हुआ है और वहां के अध्यापकों का आवास किस योजना से छिना गया था और उनके बच्चे भी आवास में परीक्षा के दौरान किस योजना से नहीं रहने दिये थे।

27. सूचना दें कि इस देश में धर्म के नाम पर महिलाओं को तीन तलाक कर भगया जाता है और दूसरे धर्म की और तो थे देश के मुसलमान चार–चार शादियां किस संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार करते हैं।

28. सूचना दें कि इस देश में नागरिक के मानव अधिकारों का जनन करने के लिए देश के दिल्ली हरियाणा के न्यायालयों में अंग्रेजी की आड में देश के संवैधानिक राज भाषा हिंदी में केसों की कार्यवाहियां किस योजना से ना कर उनके मानव अधिकारों का हनन किस योजना से किया जा रहा है और कब तक किया जाता रहेगा।

29. सूचना दें कि इस देश में अवैध कॉलोनी कृषि भूमि पर व सरकारी भूमि किस योजना से रिश्वत लेकर यहां की पुलिस व प्रशासन बसाती है। पुलिस रिश्वत लेकर झूठे केस किस योजना से दर्ज करती है और उन झूठे केसो दर्ज करने व कराने वालों के खिलाफ किस योजना से यहां न्यायाधीश कार्यवाही न कर उन्हें बचाते हैं और निर्दोषों के बिना दोषों के उन्हें फंसाने में किस योजना से लगे है।

30. सूचना दें कि बार–बार शिकायत करने पर लिखने पर द्वारका कोर्ट के श्री किशोर भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर विश्वेन्द्रा से अपने पीपी के माध्यम से रिश्वत खाकर उन्हें बचा कर इमानदार आवेदक उनके बयान हिंदी में न लिखकरउनकी प्रतिपरीक्षण हिंदी में किस योजना से नहीं कर रहे है। आवेदक जैसा भारतवासी अंग्रेजी की अंग्रेजी व वकीलों के गुलाम किस योजना से बनाये जा रहे हैं और कब तक बनाये जाते रहेंगे।

31. सूचना दें कि इस देश के व इस देश के एनसीआर के कानून के महाविद्यालय व विश्वविद्यालय बिना कक्षा में उपस्थित हुए उन्हे वकालत करने वालों को किस योजना से तथाकथित परीक्षा दिलवाकर उन्हें दो नम्बर रूक देना किस योजना से पास कराते हैं और साथ में यह बताए कि इस देश की कोर्ट में हिंदी कनें कार्यवाहिया होती है नहीं तो उन्हें हिंदी में वकालत किस योजना से करायी जाती है। ये गोरख धंधा कब तक इस देश में चलता रहेगा इस देश में नकल उठाकर डिग्रियां किस योजना से भ्रष्टाचार फैलाने के लिए दिलायी जाती जैसी जितेन्द्र तोमर आप पार्टी का कानून मंत्री फर्जी डिग्री लेकर कानून मंत्री बना।

32. सूचना दें कि बाबत ठेकेदार आज रोड़ बनाते उसी के कुछ देर बाद रोड़ टूट जाते हैं और उनमें गड्ढे बन जाते हैं सरकार उन्हें किस योजना से रोड़ बनाने के पैसे देती है और जनता पैसे उन भ्रष्ट ठेकेदारों को रिश्वत खाकर अभियन्ता मंत्री उन्हें पैसा किस योजना से देते हैं और उनके कारण जनता की मेहनत की कमाई की ली गयी गाड़िया बिना समय के उन गड्ढों के कारण व रिश्वतखोरों के भ्रष्टाचार के कारण टूट जाती है उनका खामियाजा देश शरीफ लोगों को किस योजना से भुगतना पड़ता है।

33. सूचना दें कि इस भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के कारण कश्मीर राज्य में पत्थरबाजी आंतकी हमले, उनमें सेना के जवानों की हत्या और अलगवावादी भ्रष्टाचारी बदमाशों को पाकिस्तान जाने आने के लिए पैसा किस योजना से बदमाशी करने के लिए देश पैसा उन्हें दिया जाता है कश्मीर में किस योजना से सब करने दिया जाता है और बदमाश नेता आंतकी मरने पर उन पर फूल मालाएं किस योजना से चढ़ाते हैं और देश की सरकार उन्हें ऐसा किस योजना से करने देती है।

34. सूचना दें कि इस देश में सभी क्षेत्रों में सभी सम्प्रदायों के लिए एक समान व्यवहार किस संवैधानिक अधिकार ने नहीं किया जाता। अलग–अलग तरह की व्यवस्था किस योजना से बनाकर इस कांग्रेसी तर्ज पर देश को बरबाद किस योजना से किया जा रहा है। बाबर, अकबर औरंगजेब ने गरीब शरीफ लोगों का खून बहा–बहा कर आंतक फैला कर बरबरता पूर्वक शासन किया। महाराणा प्रताप शिवाजी आदि महान महापुरुषों को सम्मान ना देकर बदमाश का ने देश को तथाकथित आजादी के नाम पर लूट–लूट कर विदेशों में पैसा छुपा दिया देश वकी विदेश नीति किस तर्ज पर बनायी गयी जब देश का पैसा भ्रष्टाचार से लूट लिया जाता है इन अंग्रेजी और मुगलयी कानूनों को कब तक खत्म किया जाएगा या नहीं या भ्रष्टाचार फैला कर इस देश को दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बनाये जाने की योजना बनती रहेगी।

35. सूचना दें कि केजरीवाल के एमएलए भारद्वाज ने ईवीसी मशीन कहां लाये और इसको दिखाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में कौन सा है जो मुसलमान व्यक्तिगत कानून की बात कर देश की महिलाओं से चार चार शादियां कर फोन पर तीन–तीन तलाक बोल ना या चार शादी करना कानूनी अधिकार के संविधान के किस अनुच्छेद में है।

36. सूचना दें कि अंग्रेजों और मुगलो की तर्ज पर बनाऐ कानूनों के आधार पर भ्रष्ट अधिकारी अपने माह तहत अधिनस्त कर्मचारियों अधिकारियों को गलत नोटिस आदि देकर उन्हें उनके नीचे दबाकर अपना दबदबा बनाकर भ्रष्टाचार कर रिश्वत लेते रहते हैं और कोई फिर उसका विरोध करता तो उसे झूठे मामले में फंसा कर नौकरी से निकाल देता वह सताया हुआ कर्मचारी कोर्ट में अपना कमाया हुआ मेहनता का पैसा लगाकर केस जीतता तो फिर कोर्ट उस भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही किस योजना से दंडित नहीं किया जाता।

37. सूचना दें कि इस तरह के कानून जो अंग्रेजों और मुगलों के तर्ज पर बनाए गए उन्हें खत्म किस योजना से नहीं किया जाता जो अधिकारी गरीब कर्मचारी को नौकरी से निकालने से उस पर झूठे आरोप लगाते हैं उनके झूठे आरोपों के लिए उस बदमाश अधिकारी को जिसने झूठे आरोप लगाकर निकाला था उसका जो समय बर्बाद हुआ उस पर सरकार ने जब वह केस जीत कर नौकरीपर आया उसे उसकी नौकरी का बिना नोकरी किये उस भ्रष्ट अधिकारी के कारण सरकार को जो लाखों देना पड़ता है उस भ्रष्ट अधिकारी से किस योजना से नहीं लिया जाता।

38. सूचना दें कि देश, दिल्ली, हरियाणा आदि की अदालतों देश की संवैधानिक राजभाषा में कब तक कार्यवाही किस संवैधानिक कानून से नहीं की जाती उसके कारण आवेदक जैसे देश की संवैधानिक राजभाषा जानने वालों के साथ अवैधानिक तरीका अपना कर अंग्रेजों की अंग्रेजों की गुलाम बनाकर उसके मूल संवैधानिक मानव अधिकारों का हनन कर उसके साथ अन्याय किया जाता रहेगा सूचना हिंदी में देवें।

39. सूचना दें कि पी.आई.ओ. एवं अपीलीय अधिकारी का नाम व पता और पद बताते हुए सूचना हिंदी में देवें।

अतः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के तहत इसकी सूचना डाक द्वारा आवेदक के डाक के पते पर तुरंत 48 घंटे की अवधि के दौरान सही एवं सत्य भेजी जाए और साथ में आवेदक के जान व माल के खतरे को देखते हुए उसका नाम व पता किसी को भी उजागर ना करें और गुप्त रखें वरना किसी प्रकार का किसी से भी आवेदक की जान व माल को खतरा हुआ तो आपका पीआईओ और उससे सम्बन्धित अधिकारी हर्जे व खर्चे का जिम्मेदार होगा व देनदार होगा। इसके साथ इस तीय फीस 10/50/– रुपये का आईपीओ .... संलग्न है।

आवेदनकर्ता
रामेश्वर शर्मा
उपरोक्त

दिनांक–27–5–2017